

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक ५

दिनांक ९. ५-१९

## परिपत्र

विषय :— दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम की क्रियान्विति अंकित करने बाबत।

आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान एवं निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर किये जाने वाले दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के लक्ष्य एवं क्रियान्विति राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अंकित करने के लिये आवासन आयुक्त द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक TA/HC/RHB/2015/07 (दिनांक 07.04.15) के द्वारा मानदण्ड निर्धारित किये हुए हैं।

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर वर्ष 2018–19 की समीक्षा के दौरान यह परिलक्षेत हुआ है कि अधिकारियों द्वारा दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम क्रियान्विति पोर्टल पर अंकित नहीं की गयी है। अतः इस परिपेक्ष्य में सभी अधिकारी निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप समयान्तरार क्रियान्वित सम्पर्क पोर्टल पर आवश्यक रूप से अंकित करें।

*(अनिल कुमार रावत)*  
मुख्य अभियंता (मुख्यालय)

## प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

1. निजी सचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
2. मुख्य अभियंता—मुख्यालय, प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
3. सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक—विधि/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा.आ.म., जयपुर
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रथम/तृतीय, रा.आ.म., जयपुर /द्वितीय, रा.आ.म., जयपुर
5. उप सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
6. समस्त उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त.....
7. समस्त आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड .....
8. संयुक्त निदेशक—सिस्टम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
9. कार्यालय पत्रावली।

*म. १८*

(एच.डी. माथुर)  
आवासीय अभियंता (ई-प्रोक )